संलग्नक - 10

III 'प्रतिलिपि फैसला दिनांक 15-7-80 न्यायालय श्री एम एल मोगरा आईएएस जिलाधीश झुन्झुनूं

------------------------------

पत्रावली संख्या एफ12(3)(23)(राज/76 आदेश दिनांक 15-7-80

विषय- आवेदन पत्र सचिव पीरामल शिक्षा न्यास बगड बाबत कृषि भूमि को आबादी में रूपान्तरण

---

आदेश

सत्य प्रतिलिपि
कार्यालय अधिकारी
झुं. झुन्झुनू (राज)

सचिव पीरामल शिक्षा न्यास बगड ने दिनांक 16-12-76 के एक आवेदन पत्र भूमि खसरा नम्बर 544, 545,546 547, 548, 549 कुल भूमि 88 बीघा 16 बिस्वा पुख्ता पीरामल शिक्षा न्यास बगड के कब्जे में होना तथा उक्त भूमि में से शिक्षा संस्थाओं के मकानात आदि बने हुये है और ठिकाने से पट्टे पर लेना तथा इस भूमि का लगान खारिज करने व किस्म परिवर्तन करने की प्रार्थना की थी।



आवेदक ने अपनी प्रार्थना की पुष्टि में नकल पट्टा ठिकानेजात प्रस्तुत किया है तथा प्रस्तावित भूमि के वर्तमान स्थिति के मानचित्र प्रस्तुत किये है। तहसीलदार झुन्झुनूं ने प्रस्तावित भूमि का प्रमाणिकरण किया है तथा यह भूमि बाबूलाल, सीपी, किशन , मोहनलाल पुत्रान पीरामल महाजन बगड का खातेदारी में होना बताया है।

हमने आज आवेदक के लायक वकील की बहस समात की। आवेदक के वकील ने प्रगट किया कि खातेदारों ने प्रस्तावित भूमि में लगभग 34 वर्ष पूर्व इस शिक्षण संस्था को दे दी थी, तब से यह भूमि ट्रस्ट के नाम ही रहनी चाहिये। लायक वकील ने आज बहस की कि यह भूमि खातेदारों ने ठिकानों से जर खरीद पटटे पर ली थी, ठिकाना को भूमि की कीमत दी गयी है तथा भूमि आबादी के लिये पट्टों पर प्राप्त हुई थी। ठिकानेदारों को जागीर खालसा

---2

होने से पूर्व ऐसी भूमि का विक्रय करने तथा आबादी के लिये पट्टे देने का अधिकार था। मैं लायक वकील आवेदक की बहस से इसलिये सहमत हूं कि प्रथम तो इस भूमि पर शिक्षण संस्था निर्मित हो चुकी है और वास्तव में भूमि का उपयोग भी आबादी में आ रहा है। द्वितीय ठिकानेदारों को ऐसे अधिकार थे। जहां तक खातेदारी का प्रश्न है यह ट्रस्ट भी खातेदारों का बनाया हुआ है। इसलिये भूमि ट्रस्ट की मानने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। अतः भूमि खसरा नम्बरान 544, 545, 546, 547, 548, 549 कुल 88 बीघा 16 बिस्वा पुख्ता भूमि आबादी में मानी जाती है तथा इस भूमि का अंकन पीरामल शिक्षा न्यास के नाम आबादी में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद है तथा इस भूमि का लगान राईट आफ करने के प्रस्ताव तहसीलदार झुन्झुनूं नियमानुसार तैयार कर स्वीकृति हेतु भिजवावें। आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

ह० एम एल मोगरा

जिलाधीश झुन्झुनूं

सत्य प्रतिलिपि

कार्यालय अधिकारी

(झुन्झुनूं) (राज०)

259

1. नकल दरख्वास्त 21.5.97
2. तारीख दरख्वास्त 22.5.97
3. तारीख देने हेतु 22.5.97
4. ... 22.5.97